रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 20 अगस्त, 1987/29 श्रावण, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

PERSONNEL (A-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th April, 1987

No. 1-15/73-DP (Apptt.).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that during the period Shri V.K. Bhatnagar, Deputy Commissioner, Kullu, Himachal Pradesh remains on four weeks refresher course at HCM RIPA Jaipur w.e.f. 6th April, 1987, the Additional District Magistrate, Kullu, Himachal Pradesh shall also hold the charge of the post of Deputy Commissioner, Kullu in addition to his own duties.

Sd/-
Commissioner-cum-*Secretary*.

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the 6th June*, 1987

No. Agr. A (4)-9/86 (Part).—In continuation of this Department notification of even number dated the 1st June, 1987, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the terms and conditions of appointment in respect of the Chairman of the Himachal Pradesh Marketing Board shall be as under:—

1. Remuneration of Rs. 1,500/- P. M. (Consolidated).
2. He will be provided with Car and Driver by the Board for the Board work only.
3. He will be entitled for T.A. and D.A. as admissible to highest Grade-I Officer of the State Government.
4. He will be entitled to House rent @ Rs. 1,000/- P.M. or semi-furnished accommodation to be provided by the Board.
5. He will be entitled for medical claim as admissible to Grade-I Officer of the State Government.
6. He will be entitled for telephone facility at his office and residence.

The above expenditure is to be borne by the Himachal Pradesh Marketing Board.

By order,
S. M. KANWAR,
Financial Commissioner (Dev.)-cum-
Agriculture Production Commissioner.

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 1987

संख्या जी0 ए0 बी0-1 ए(1) 2/85.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1954 (1954 का 6) की धारा 6 तथा इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 (1908 का 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नए धर्मशाला उप-मण्डल (सिविल) जिसका मुख्यालय धर्मशाला में होगा, के सृजन के तत्काल आदेश देते हैं।

2. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और आदेश देते हैं कि नए उप-मण्डल (सिविल) धर्मशाला की सीमाएं तथा क्षेत्रीय अधिकारिता वही होगी जो कि वर्तमान तहसील धर्मशाला की है।

आदेश द्वारा,
पी0 के0 मट्टू,
मुख्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

[*Authoritative English text of the Government notification No. GAB-1A(1)-2 85, dated 25-5-87 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.*]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(B-SECTION)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 25th May, 1987

No. GAB-1 A(1)-2 85.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of a new Sub-Division (Civil) Dharamshala with its headquarters at Dharamshala in Kangra district.

2. The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order that the boundaries and jurisdiction of the new Sub-Division (Civil) Dharamshala will be co-terminus with those of Tehsil Dharamshala.

By order,
P. K. MATTOO,
Chief Secretary.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 29 अप्रैल, 1987

संख्या होम (ए)-एफ(13)-1/82.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आरटिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवां अधिनियम) की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) में अपेक्षित है, इस अधिनियम की धारा (9) की उप-धारा (2) के अधीन उन क्षेत्रों में जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11-69/68-गृह (ए) दिनांक प्रथम जुलाई, 1981 में निर्दिष्ट किये गये हैं में निम्नलिखित अवधि के दौरान पूर्व परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी अभ्यास करने हेतु प्राधिकृत करने के निश्चय को सरकारी राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना उन लोगों की सूचना हेतु जो कि इस द्वारा प्रभावित होने सम्भावित हैं, सहर्ष प्रकाशित करते हैं

अप्रैल, 1987	मई, 1987	जून, 1987
20 से 24 तक	4 से 8 तक	3 से 6 तक
27 से 30 तक	18 से 22 तक	10 से 13 तक
	25 से 27 तक	15 से 19 तक
		22 से 26 तक

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/–
सचिव।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 मई, 1987

संख्या एच0 एफ0 डब्ल्यू-बी (ए) 2-1/82-II –हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का अधिनियम संख्या 23) की धारा 21 और इस के अधीन निर्मित नियम 49, 50, 51 व 52 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कम्पनियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गये कार्यक्षेत्र के लिए तुरन्त ड्रग निरीक्षक नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं :—

क्रम सं0/पद एवं नाम	कार्य क्षेत्र
1. श्री एम. एन. शर्मा, सहायक औषधि नियन्त्रक, हिमाचल प्रदेश, शिमला-4	संपूर्ण हिमाचल प्रदेश।
2. श्री नवनीत कुमार मरवाह, औषधि निरीक्षक, मण्डी, हिमाचल प्रदेश।	मण्डी, बिलासपुर, लाहौल एवं स्पिति तथा कुल्लू जिलों में सम्मिलित क्षेत्र। मुख्यालय मण्डी में ही होगा।

आदेश द्वारा,
अरविंद कौल,
आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य)।

श्रम, रोजगार तथा मुद्रण विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 1 मई, 1987

संख्या 2-22/85-श्रम.—कृपया इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना, दिनांक 31-3-87 में पैरा 1 की पंक्ति 2 में प्रकाशित समस्त शब्द के बाद आखिरी शब्द "सिंचाई" के स्थान पर "सिमिट" पढ़ें।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/–
सचिव।

SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 22*nd May*, 1987

No. STV (Env.) A (4) 8/86.—In continuation of this Government Department notifications of even No. dated 22nd December, 1986 and 24th December, 1986, the Governor, Himachal Pradesh is further pleased to nominate Shri Sudhir Mahajan, the Secretary, Himachal Environment

and Landscape Protection Society, Dharamshala, as member on the Himachal Pradesh Environment Protection Council, with immediate effect.

ATTAR SINGH.
F.C.-cum-*Secretary* (*S.T.* & *E.*)-cum-*Member-Secretary*,
H. P. Environment Protection Council.

TOURISM DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 5th May*, 1987

No. 2-10/80-TD(Sectt)-Vol.II.—In partial modification of this Department notification of even number dated the 14th January, 1987, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri M.K. Kaw, Financial Commissioner-*cum*-Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh as Director of the Board of Directors of the Himachal Pradesh Tourism Development Corporation in place of Shri S. M. Kanwar with immediate effect.

A. N. VIDYARTHI.
Financial Commissioner-cum-*Secretary* (*Tourism*).

कार्यालय जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 14 जुलाई, 1987

संख्या 3367/पंच.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, कांगड़ा, ने अपने पत्र संख्या 1658 दिनांक 3-4-87 के अधीन अवगत करवाया है कि श्री रघुवीर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत रज्याणा ने रु० 7193.25 रुपये पंचायत निधि अनाधिकृत रूप से अपने पास रखी है।

और क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, कांगड़ा जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 2279 दिनांक 5 मई, 1987 के अधीन भी उक्त प्रधान श्री रघुवीर सिंह को उक्त राशि रु० 7193.25 रुपये पंचायत में जमा करने हेतु नोटिस दिया गया था परन्तु उक्त प्रधान ने न तो नोटिस का कोई उत्तर दिया न ही राशि जमा की ;

और क्योंकि उक्त प्रधान पंचायत निधि का दुरुपयोग/अपहरण करने तथा नियमों की उल्लंघना करने का दोषी पाया गया है, अतः मैं, हीरा लाल नाशाद, अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 54(1) जिसे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाता है के अधीन श्री रघुबीर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत रज्याणा, विकास खण्ड कांगड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आदेश देता हूं कि उपरोक्त के सन्दर्भ में अपना स्पष्टीकरण खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को 15 दिन के भीतर प्रेषित करें अन्यथा उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही व्यवहार में लाई जावेगी ।

धर्मशाला, 21 जुलाई, 1987

संख्या 3561/पंच.—क्योंकि दिनांक 23-1-1986 को श्री हुक्म सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत दरोगण् ने बावली निर्माण हेतु रु० 2750/- रुपये खण्ड विकास अधिकारी, पंचरुखी के कार्यालय से प्राप्त करके दिनांक 11-2-86 को

पंचायत निधि में जमा करवाया । इस प्रकार 19 दिन तक उक्त प्रधान ने मु0 2750/- रुपये अनाधिकृत रूप से अपने पास रखे;

और क्योंकि उक्त प्रधान श्री हुक्म सिंह की देख रेख में पंच श्री जैमल राम ने प्राथमिक पाठशाला, थला के निर्माण हेतु मिस्त्री के रूप में कार्य करके सरकारी धन का अर्जन किया ;

और क्योंकि प्रधान श्री हुक्म सिंह द्वारा जांच के दौरान बताया गया कि प्राथमिक पाठशाला, थला के निर्माण हेतु इमारती लकड़ी श्री जैमल राम, पंच द्वारा दान दी गई । जबकि उप-प्रधान ने खण्ड विकास अधिकारी से मु0 4400/- रुपये उक्त लकड़ी क्रय करने हेतु प्राप्त किए ;

और क्योंकि उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि प्रधान श्री हुक्म सिंह ने अनाधिकृत रूप से पंचायत निधि अपने पास रखकर अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना की तथा उप-प्रधान तथा पंच के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग किया ;

अतः मैं, हीरा लाल नाशाद, अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा, स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अधीन उक्त श्री हुक्म सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत दरोगणु, विकास खण्ड पंचरुखी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आदेश देता हूं कि वह उपरोक्त आरोपों बारे अपना स्पष्टीकरण खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें अन्यथा उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही व्यवहार में लाई जावेगी ।

धर्मशाला, 21 जुलाई, 1987

संख्या 3553/पंच.—क्योंकि पंच श्री जैमल राम, ग्राम पंचायत दरोगणु ने प्रधान की देख रेख में प्राथमिक पाठशाला, थला के निर्माण हेतु मिस्त्री के रूप में कार्य करके सरकारी धन का अर्जन किया;

और क्योंकि प्राथमिक पाठशाला, थला के निर्माण हेतु इमारती लकड़ी क्रय करने के लिए उप-प्रधान श्री प्राकम चन्द ने मु0 4400/- रुपये खण्ड विकास अधिकारी, पंचरुखी के कार्यालय से प्राप्त किए जबकि जांच के दौरान प्रधान तथा पंच द्वारा उक्त लकड़ी श्री जैमल राम, पंच द्वारा दान दी, बताई गई;

और क्योंकि उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि उक्त श्री जैमल राम, पंच ने प्रधान तथा उप-प्रधान के साथ मिलकर मु0 4400/- रुपये अनाधिकृत रूप से अर्जन करने का सीधा एवं परोक्ष प्रयास किया तथा अपने पद का दुरुपयोग किया;

अतः मैं, हीरा लाल नाशाद, अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अधीन उक्त श्री जैमल राम, पंच ग्राम पंचायत दरोगणु, विकास खण्ड, पंचरुखी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आदेश देता हूं कि वह उपरोक्त आरोपों बारे अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के भीतर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें अन्यथा उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही व्यवहार में लाई जावेगी ।

धर्मशाला, 21 जुलाई, 1987

संख्या 3557/पंच.—क्योंकि श्री प्राकम चन्द, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत दरोगणु, विकास खण्ड, पंचरुखी ने मु0 4400/- रुपये की इमारती लकड़ी प्राथमिक पाठशाला, थला के लिए क्रय की और यह राशि उक्त उप-प्रधान द्वारा विकास खण्ड अधिकारी, पंचरुखी के कार्यालय से प्राप्त की गई;

और क्योंकि जांच के दौरान श्री हुक्म सिंह, प्रधान तथा श्री जैमल राम, पंच, ग्राम पंचायत दरोगण ने उक्त लकड़ी श्री जैमल राम, पंच द्वारा दान दी, बताई गई;

और क्योंकि उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि उक्त उप-प्रधान श्री प्राकम चन्द ने प्रधान तथा पंच के साथ मिलकर मु0 4400/- रुपये अनाधिकृत रूप से अर्जन करने का सीधा एवं परोक्ष प्रयास किया है;

अतः मैं, हीरा लाल नाशाद, अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अधीन उक्त श्री प्राकम चन्द, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत दरोगण को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आदेश देता हूं कि वह उपरोक्त आरोपों बारे अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के भीतर खण्ड विकास विकास अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें अन्यथा उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही व्यवहार में लाई जावेगी।

धर्मशाला, 27 मई, 1987

संख्या 2698/पंच.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, कांगड़ा ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि श्री ध्यान सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भंगवार, विकास खण्ड कांगड़ा ने एक वर्ष में मु0 10374.00 रुपये सभा निधि के अवैध रूप से रखे हैं;

और क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, कांगड़ा द्वारा उक्त प्रधान श्री ध्यान सिंह को इस सम्बन्ध में नोटिस दिया गया परन्तु उक्त प्रधान द्वारा ना तो राशि जमा करवाई गई और न ही नोटिस का उत्तर उन्होंने दिया;

और क्योंकि उक्त प्रधान के विरुद्ध स्थानीय ग्राम सभा वासियों में काफी रोष पाया गया है तथा लोगों ने एक शिकायत-पत्र भी इस सम्बन्ध में प्रेषित किया है।

अतः मैं, हीरा लाल नाशाद, अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री ध्यान सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भंगवार, विकास खण्ड कांगड़ा को पंचायत निधि का दुरुपयोग/अपहरण करने तथा नियमों की उल्लंघना करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 54(1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह उपरोक्त आरोपों बारे अपना स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही व्यवहार में लाई जावेगी।

धर्मशाला, 25 मई, 1987

संख्या 2694/पंच.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, देहरा ने इस कार्यालय को अवगत करवाया है कि श्री प्रताप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सुराणी, विकास खण्ड देहरा ने श्रीमती बिमला देवी, श्री ज्ञान चन्द तथा श्री ठुणिया राम आदि व्यक्तियों के राशन कार्ड बनाकर उन्हें ना सौंपते हुए राशन डिपो से स्वयं सामान लेते रहे।

और क्योंकि उक्त श्री प्रताप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सुराणी, प्राथमिक पाठशाला, टीप की मुरम्मत हेतु बलपूर्वक अंशदान बिना किसी रसीद के एकत्रित करते रहे हैं जो कि अनियमित है;

और क्योंकि उपरोक्त कार्यवाही उक्त श्री प्रताप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सुराणी, विकास खण्ड देहरा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग प्रमाणित करती है;

अतः मैं, हीरा लाल नाशाद, अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अधीन उक्त श्री प्रताप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सुराणी, विकास खण्ड देहरा को कारण बताओ नोटिस देता हूं कि वह उपरोक्त आरोपों बारे अपना स्पष्टीकरण इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर खण्ड विकास अधिकारी, देहरा के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि उन्हें इस बारे कुछ नहीं कहना है तथा एक पक्षीय कार्यवाही व्यवहार में लाई जावेगी ।

हीरा लाल नाशाद,
अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा ।

कार्यालय उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

अधिसूचना

हमीरपुर, 6 मई, 1987

संख्या पंच एच० एम० आर० ग(4)-21/84-1800-8.—यतः ग्राम सभा सकान्दर नें अपने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 21-4-86 द्वारा यह पारित किया था कि पंचायत का मुख्यावास गांव ढांगू में होना चाहिए ; और यह भी कि ग्राम सभा के उक्त प्रस्ताव पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिसूचना संख्या पंच एच० एम० आर० वि(9)-22/80-1866-70 दिनांक 24-6-86 द्वारा ग्राम सभा सदस्यों को आपत्ति दायर करने का अवसर प्रदान किया गया ।

क्योंकि ग्राम सभा सकान्दर के उक्त प्रस्ताव पर अधोहस्ताक्षरी को आपत्ति प्राप्त हुई । जिस पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मौका का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की जांच करवाई गई । जांच रिपोर्ट में यह तथ्य प्रकट हुए कि गांव ढांगू आबादी व भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा के मुख्यावास के लिये उपयुक्त है ।

अतः मैं, आशीष देव, उपायुक्त, हमीरपुर, ग्राम सभा सकान्दर के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 24-6-86 के अनुसार उन अधिकारों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 10(2) के अन्तर्गत निहित हैं, ग्राम सभा सकान्दर के मुख्यावास को गांव ढांगू में स्थापित करने का आदेश देता हूं।

आशीष देव,
उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर ।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

लाहौल एवं स्पिति स्थित केलांग

अधिसूचना

केलांग-175132, 16 जुलाई, 1987

क्रमांक आपूर्ति शाखा-187/86-1944-2014.—पिछले सभी आदेशों व अधिसूचनाओं का अतिक्रमण तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवम् मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3(1) (ई) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम० निगम, जिला दण्डाधिकारी, जिला लाहौल एवम् स्पिति, केलांग, हिमाचल

प्रदेश की अनुसूची 1 में दर्ज निम्नलिखित वस्तुओं की समस्त करों सहित अधिकतम परचून दरों का निर्धारण निम्न प्रकार से करता हूं:—

क्रमांक	अनुसूची सं0 1 के अनुसार क्रमांक	वस्तु का नाम	समस्त करों सहित अधिकतम परचून दर
1	2	3	4
			रु0 पै0
1.	2	1. डबल रोटी वजन 300 ग्राम नेट	1.75 प्रति डबल रोटी
		1 क-डबल रोटी वजन 350 ग्राम नेट मोमजामी कागज में लिपटी हुई।	2.00 प्रति डबल रोटी
		2. डबल रोटी वजन 400 ग्राम नेट मोमजामी कागज में लिपटी हुई।	2.25 प्रति डबल रोटी
2.	12	1. कच्चा मीट	28.00 प्रति किलो
3.	17	पका हुआ खाना :	
		1. चाय प्रति कप/गलास	0.60 प्रति कप/गलास
		2. जलेबी	18.00 प्रति किलो
		3. बालूशाही/बेसन/लड्डु/पिन्नी/शक्करपारा/खजूर/मटर/बून्दी।	20.00 प्रति किलो
		4. लड्डू मोती चूर	22.00 प्रति किलो
		5. पकोड़े/समियां	18.00 प्रति किलो
		6. मट्ठी	0.50 प्रति एक
		7. समोसा छोटा साइज बिना चना	0.50 प्रति एक
		8. समोसा छोटा साइज चना समेत	1.00 प्रति एक
		9. समोसा बड़ा साइज बिना चना	0.75 प्रति एक
		10. समोसा बड़ा साइज चना सहित	1.50 प्रति एक
		11. कलूचा/बट्टूरा आलू सब्जी के साथ	1.50 प्रति एक
		12. सादा परौंठा	1.00 प्रति एक
		13. परौंठा आलू सब्जी अचार के साथ	2.00 प्रति एक
		14. थुपका मीट सहित	4.00 प्रति प्लेट
		15. थुपका मीट सहित	2.50 आधी प्लेट
		16. थुपका मीट रहित	3.00 प्रति प्लेट
		17. थुपका मीट रहित	2.00 आधी प्लेट
		18. पूरी थाली दाल व सब्जी के साथ	4.50 प्रति प्लेट
		19. पूरी थाली केवल दाल के साथ	3.50 प्रति प्लेट
		20. चावल परमल पूरी प्लेट	3.00 प्रति एक
		21. चावल परमल आधी प्लेट	2.00 प्रति एक
		22. चावल मोटा	2.00 प्रति प्लेट
		23. चावल मोटा	1.00 आधी प्लेट
		24. मीट प्लेट	8.00 प्रति एक
		25. आधी प्लेट	4.50 प्रति एक
		26. मीट रोगन जोश	10.00 प्रति प्लेट
		27. चिकन करी प्रति प्लेट	12.00 प्रति एक
		28. विशेष सब्जी प्रति प्लेट	4.00 प्रति एक

1	2	3	4
			रु० पै०
		29. विशेष आधी प्लेट	2.00 प्रति एक
		30. विशेष सब्जी पनीर सहित	5.00 प्रति एक
		31. विशेष सब्जी पनीर सहित	2.50 प्रति आधी प्लेट
		32. मिक्स सब्जी प्रति प्लेट	5.00 प्रति एक
		33. विशेष मिक्स सब्जी प्रति प्लेट	10.00 प्रति एक
		34. अण्डा उबला हुआ	1.25 प्रति एक
		35. दो अण्डों का आमलेट	3.00
		36. दाल फ्राइड	3.00 प्रति प्लेट
		37. सादी सब्जी	3.00 प्रति प्लेट
		38. सादी सब्जी आधी प्लेट	2.00
		39. चपाती तन्दूरी	0.50 प्रति एक
		40. चपाती तवे की	0.40 प्रति एक
4.	18	1. दूध कच्चा केलांग/उदयपुर	5.00 प्रति किलो
		2. दूध उबला हुआ	5.25 प्रति किलो
		3. दूध चीनी सहित	5.50 प्रति किलो
		4. दही	6.00 प्रति किलो

टिप्पणी.—1. मीट की प्लेट में 200 ग्राम मीट जिसमें कम-से-कम 5 टुकड़े मीट के डालने होंगे और उसमें 200 ग्राम तरी कुल वजन 400 ग्राम होगा।

2. विशेष सब्जी की प्लेट का वजन 450 ग्राम होगा और पनीर की सब्जी कम-से-कम पांच-छः टुकड़े होंगे।

3. दुकानदार को प्रत्येक ग्राहक को कैश मेमो देना आवश्यक होगा जिस पर ग्राहक का नाम, पता व हस्ताक्षर होने चाहिए।

4. दुकानदार को अपनी दुकान पर सुविधा से पढ़े जाने वाले स्थान पर बेची जाने वाली वस्तुओं की मूल्य सूची लगाना आवश्यक होगा जिस पर मालिक/हिस्सेदार/प्रबन्धक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होने चाहिए।

उक्त आदेश समस्त लाहौल एवं स्पिति जिले में तुरन्त लागू होंगे तथा जारी होने की तिथि से दो महीने के लिए कार्यान्वित रहेंगे।

एस० निगम,
जिला दण्डाधिकारी, लाहौल एवं स्पिति स्थित केलांग।

स्थानीय स्वायत प्रशासन विभाग

अधिसूचनायें

शिमला–171002, 5 मई, 1987

संख्या 7-1/72-एल०एस०जी०-1.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल० एस० जी०-ए० (4), 15/76(II) दिनांक 17 जुलाई, 1986 के क्रम को जारी रखते हुए और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1968 (1968 का 19) की धारा-257 की उप-धारा (1) के खण्ड (डी) और (ई) के अन्तर्गत

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिसूचित क्षेत्र समिति, ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा का, समिति के बाकी अवधिकाल तक, तत्काल से गैर सरकारी सदस्य मनोनीत करते हैं:—

1. श्री किशोर चन्द सूद सुपुत्र श्री नाथू मल, निवासी ज्वालामुखी।
2. श्री वृज नन्दन झा, निवासी ज्वालामुखी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

[*Authorised English text of notification No. 7-1/72-LSG(I), dated 5-5-87 under Article 348(3) of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 5th May, 1987

No. 7-1/72-LSG(I).—In continuation of this department notification No. LSG. B(15)4/75-II dated the 17th July, 1986 and in exercise of powers conferred by clause (*d*) and (*e*) of sub-section (1) of section 257 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the following persons as non-official members of the Notified Area Committee, Jawalamukhi, District Kangra for the remaining period of the Committee, with immediate effect:—

1. Shri Kishore Chand Sood s/o Shri Nathu Mall, resident of Jawalamukhi.
2. Shri Brij Nandan Jha, resident of Jawalamukhi.

By order,
Sd/-
Secretary.

शिमला-171002, 5 मई, 1987

संख्या एल0 एस0 जी0-7-1/72(1).—इस सरकार की सम संख्यक अधिसूचना, तारीख 26 नवम्बर, 1985 का अधिक्रमण करते हुए और हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल ऐक्ट, 1968 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्वालामुखी अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्यों की संख्या सतारह जिनमें पांच सरकारी और बारह गैर सरकारी सदस्य समाविष्ट हैं, पुनः निर्धारित करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

[*In pursuance of clause (3) of Article 348 of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to publish the English text of notification No. LSG. 7-1/72(I), dated 5-5-1987 for the general information of the public.*]

Shimla-2, the 5th May, 1987

No. LSG. 7-1/72-(I).—In supersession of this Government notification of even number, dated 26-11-1985 and in exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to refix the number of Members of the Notified Area Committee, Jawalamukhi at seventeen comprising of five official and twelve non-official members.

By order,
Sd/-
Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला–171002, 9 अप्रैल, 1987

संख्या पी0मी0एच0-एच0ए0-(5) 70/86.—क्योंकि श्री सोहन लाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सराहण, विकास खण्ड करसोग, ज़िला मण्डी ने अपनी मोहर बनाकर स्वर्गीय श्री साइ राम सुपुत्र श्री शोभू, ग्राम वासी कोटी के सम्बन्ध में यह झूठा प्रमाण-पत्र दिया कि उसके कोई औलाद नहीं जबकि उसके एक लड़का श्री बंशीलाल नाम का है।

क्योंकि ऐसा करके श्री सोहन लाल, उप-प्रधान ने उप-प्रधान पद का दुरुपयोग किया है ;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने का सहर्ष आदेश देते हैं कि क्यों न उक्त कृत्य के लिए उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत निलम्बन की कार्यवाही की जाये। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर ज़िलाधीश, मण्डी के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। इसके साथ-साथ राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), करसोग को जांच अधिकारी नियुक्त करने के भी सहर्ष आदेश देते हैं। वे उक्त विषय की जांच रिपोर्ट ज़िलाधीश, मण्डी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भेजेंगे।

हस्ताक्षरित/–
उप-सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।